आयोजनागत
संख्या–1108 / XXIV(8) / 2005

प्रेषक,

के.के. पन्त,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्राचार्य,
जी0बी0 पन्त इंजीनियरिंग कालेज,
घुडदौडी, पौडी।

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी) देहरादून दिनांक 17 फरवरी,2006

विषय– **जी0बी0 पंत इंजीनियरिंग कालेज, घुड़दौड़ी, पौड़ी में 200 सीटर छात्रावास भवन हेतु धनावंटन।**

महोदय,

उपयुक्त विषयक आपके पत्रांक–मेमो / बजट / 2005–06 दिनांक 26.12.2005 तथा शासनादेश संख्या–355 / प्रा.शि. / 2003 दिनांक 8.12.2003 जिसके द्वारा जी.बी. पन्त इंजी. कालेज घुड़दौड़ी पौड़ी में 200 सीटर छात्रावास के निर्माण हेतु रू0 273.62 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी गयी थी, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय जी0बी0 पंत इंजीनियरिंग कालेज, घुड़दौड़ी, पौड़ी में 200 सीटर छात्रावास भवन हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 इंजीनियरिंग कालेज इकाई, पौड़ी द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष रू0 433.00 लाख (रूपये चार करोड़ तैतीस लाख मात्र) के आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इस वित्तीय वर्ष 2005–06 में रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त कार्य की लागत किसी भी दशा मे पुनरीक्षित नहीं की जायेगी तथा शेष शर्ते पूर्व में जारी उक्त शासनादेश के अनुसार रहेगी।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरे शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी है, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार समक्ष प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– एक मुश्त प्राविधान कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्ववेता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुसार कार्य किया जाय।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

10– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग लाया जाए।

11– यदि स्वीकृति राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृति राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।

12– संस्था को अनुदानित धनराशि का भुगतान जिलाधिकारी पौडी द्वारा बिल प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त कोषाधिकारी पौडी द्वारा सीधे आपको कर दिया जायेगा। संबंधित कोषागार बीजक एवं दिनांक की सूचना निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल तथा शासन को तत्काल भेजी जाय।

13– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या –11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक – 2203 – तकनीकी शिक्षा – आयोजनागत – 00 – 112 – इंजीनियरी / तकनीकी कालेज तथा संस्थान –00–05– इंजीनियरिग कालेज घुडदौड़ी (पौड़ी)–20– सहायक अनुदान / अशदान / राजसहायता के नामें डाला जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–640 / वि0 अनु0–3 / 2006 दिनांक 13.2.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(के.के. पन्त)
अपर सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार उत्तरांचल देहरादून।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल।
3. जिलाधिकारी / कोषाधिकारी, पौड़ी।
4. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
5. परियोजना प्रवन्धक राजकीय निर्माण निगम, पौड़ी।
6. वित्त अनुभाग–3 / नियोजन अनुभाग।
7. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
9. आयुक्त गढ़वाल / कुमायूं मण्डल, उत्तरांचल।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव।

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\SANCTION GBPEC PAURI 2005-06.doc

17020600S